

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/कानपुर/आगरा/इलाहाबाद/ वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ :: दिनांक 24 जनवरी, 2015

विषय:-उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण (प्रवर) सेवा के सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3089/नौ-4-08-35ई/03, दिनांक 24.12.08 एवं शासनादेश संख्या-849/नौ-4-13-35ई/2003, दिनांक 15 मार्च, 2013 उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण (प्रवर) सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) अन्तिम ज्येष्ठता सूची (क्रमशः क्रमांक-1 से 113 तक तथा क्रमांक-114 से 200 तक) निर्गत की गयी थी। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में दायर रिट याचिका संख्या-1303(एस बी)/2011 मोईनुद्दीन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-1304(एस बी)/2011 मोईनुद्दीन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-1389(एस बी)/2011 सैयद वसी हैदर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.12 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए जो आदेश पारित किये गये हैं, उसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

....."Accordingly, writ petitions deserve to be allowed and are accordingly allowed. Impugned judgment and order dated 14.9.2010 of the Tribunal is hereby set aside. The orders passed by the respondents in compliance of the orders of the Tribunal are also hereby quashed....."

Learned counsel for the parties have agreed that as the petitioners as well as other persons have already been promoted and they have joined on the promoted posts; writ petition are at the stage of hearing; as such, if such promoted persons are being allowed to be impleaded as party to the petition, it will linger on the matter. Therefore, it has been suggested that all of them may be allowed to continue on the promoted posts but their promotions shall be subject to finalization of fresh seniority list. Accordingly, we provide that the promotions already made shall not be annulled and the same shall be subject to re-fixation of the inter se- seniority list on the basis of the feeding cadre.

3. मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में सहायक अभियन्ता (सिविल) की प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 24.12.08 एवं 15.03.2013 को निरस्त करते हुए शासन के पत्र संख्या-2500/नौ-4-2014-35ई/03, दिनांक 22.09.14 द्वारा उक्त संवर्ग की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए आपत्तियां मांगी गयी। प्राप्त आपत्तियों जिसका विस्तृत उल्लेख प्रस्तर-2 में है, के अनुसार निराकरण करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र.पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में ज्येष्ठता

निर्धारण के संबंध में विद्यमान नियम-21(क) नियम-24, तथा सपटित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के सुसंगत प्राविधानों का उपयोग करते हुए उ.प्र.पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण प्रवर सेवा के सहायक अभियन्ताओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जा रही है।

2. परिचालित की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 पर प्राप्त आपत्तियों एवं अन्य तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त आपत्तियों को निम्नानुसार निस्तारित करते हुए ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है :-

(1) श्री हरीराम एवं श्री रामवृक्ष, अधिशासी अभियन्ताओं की आपत्ति:-

श्री रमेश कुमार, मुख्य अभियन्ता को क्रमांक-35 पर, श्री रामपाल, अधिशासी अभियन्ता को क्रमांक-36 पर एवं श्री सतीश चन्द्र को क्रमांक-38 पर रखा गया है, जबकि उन्हें शासनादेश दिनांक 19.02.01 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 06.02.96 से तदर्थ प्रोनन्त करते हुए दिनांक 09.09.97 से विनियमित किया गया है। शासन द्वारा जारी उक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची में इनके वरिष्ठता क्रमांक के आगे मौलिक नियुक्ति/विनियमितीकरण की तिथि 06.02.96 अंकित कर गलत लाभ दिया गया है। शासनादेश दिनांक 19.02.01 से स्पष्ट है कि इनकी सहायक अभियन्ता के पद पर विनियमितीकरण की तिथि 09.09.97 है। उक्त तीनों अभियन्ताओं को शासनादेश दिनांक 28.11.06 द्वारा दिनांक 06.02.96 से विनियमित नहीं किया गया है। तदर्थ रूप से प्रोनन्त कर्मचारियों को पूर्व की तिथि से विनियमित नहीं किया जा सकता है। पूर्व में शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.03.08 में श्री रमेश कुमार और श्री रामपाल का नाम उनके नाम के नीचे क्रमांक-75 एवं 76 पर निर्धारित था। अतः उन्हें वरिष्ठता में उक्त दोनों अभियन्ताओं के ऊपर रखा जाय। श्री लक्ष्मीनारायण सिंह सागर, अधिशासी अभियन्ता का नाम वरिष्ठता सूची के क्रमांक-41 पर अंकित है। इनकी मौलिक नियुक्ति 12.06.96 अंकित है, जबकि श्री सागर की सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 08.08.96 है। इसी प्रकार श्री आर.के. चौधरी एवं सूरजपाल की मौलिक नियुक्ति की तिथि 12.06.96 गलत अंकित है। श्री लक्ष्मीनारायण सिंह सागर द्वारा शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन में गलत तथ्यों का उल्लेख किया गया है। वे सभी अभियन्ताओं से वरिष्ठ है और वरिष्ठता के कारण ही उनकी अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित प्रोनन्ति कनिष्ठ की तिथि 27.06.01 से शासनादेश दिनांक 27.08.01 द्वारा किया गया है। उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति/विनियमितीकरण की तिथि 06.02.96 है, जबकि श्री लक्ष्मीनारायण सिंह सागर की सहायक अभियन्ता पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 08.08.96 है। इस प्रकार वे श्री सागर से वरिष्ठ है।

श्री हरीराम एवं श्री रामवृक्ष द्वारा की गयी आपत्ति पर विचारोपरान्त यह पाया गया है कि श्री रमेश कुमार एवं श्री रामपाल का नाम अवर अभियन्ता की विभिन्न वरिष्ठता सूचियों में श्री हरीराम एवं श्री रामवृक्ष के ऊपर है। उक्त के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-2702/ नौ-4-14-35ई/03, दिनांक 17.01.15 के द्वारा श्री रमेश कुमार, श्री रामपाल का नाम कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.06 में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार श्री रमेश कुमार, श्री रामपाल, श्री हरीराम एवं श्री रामवृक्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 06.02.96 है। स्पष्ट है कि श्री रमेश कुमार एवं श्री रामपाल दोनों अभियन्ता श्री हरीराम एवं श्री रामवृक्ष से वरिष्ठ है। अतः श्री हरीराम एवं श्री रामवृक्ष की आपत्ति बलहीन है। जहाँ तक श्री लक्ष्मीनारायण सागर के संबंध में उनकी मौलिक तिथि 08.08.96 निर्धारित किये जाने का प्रश्न है, के संबंध में उल्लेखनीय है कि अभिलेखों के अनुसार श्री सागर की मौलिक नियुक्ति की तिथि 08.08.96 है। तदनुसार श्री हरीराम द्वारा की गयी आपत्ति का निराकरण करते हुए श्री सागर की मौलिक नियुक्ति की तिथि 08.08.96 कर दी गयी है। एतद्द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाता है।

(2) श्री सुबोध चौधरी, अधिशासी अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री चौधरी ने अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि उनकी नियुक्ति नियम-31 के अन्तर्गत दिनांक 19.10.77 को अस्थायी एवं तदर्थ रूप से अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी। तदोपरान्त उनकी नियुक्ति श्रेष्ठता के आधार पर लोक सेवा आयोग के आदेश दिनांक 27.10.77 द्वारा की गयी। निदेशक, स्थानीय निकाय के आदेश दिनांक 13.09.83 में उनका नाम क्रमांक-16 पर तथा उनसे कनिष्ठ मो0 जियाउद्दीन का नाम क्रमांक-29 पर अंकित था। अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 में उनसे कनिष्ठ श्री जियाउद्दीन का नाम क्रमांक-57 पर अंकित है, जबकि उनका नाम क्रमांक-73 पर अंकित है। निदेशक, स्थानीय निकाय के आदेश दिनांक 22.01.99 को जारी अभियंत्रण प्रवर सेवा की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-94 पर अंकित है, जबकि उनसे कनिष्ठ श्री कैलाश सिंह क्रमांक-99, श्री प्रदीप मित्तल क्रमांक-100, श्री हरीराम क्रमांक-105, श्री अतर सिंह क्रमांक-106, श्री रामवृक्ष क्रमांक-107 पर थे। उक्त सभी अभियन्ताओं को वर्तमान सूची में उनसे वरिष्ठ दिखाया गया है, जो मान्य नहीं है। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्रख्यापित अवर अभियन्ता की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 30.03.2000 में उनका नाम क्रमांक-62 पर है, जबकि कैलाश सिंह का 288 पर, श्री प्रदीप मित्तल क्रमांक-319, श्री रामवृक्ष का 324 पर, श्री सतीश चन्द्र का 325 पर, श्री अतर सिंह, 326 पर, श्री हरीराम का 237 पर है। जबकि वर्तमान में प्रख्यापित सूची में उनका नाम क्रमांक-73 पर तथा उनसे कनिष्ठ को 29, 30, 37, 38, 39 एवं 40 पर रखा गया है। शासन के आदेश दिनांक 09.09.97 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त / प्रोन्नत अभियन्ताओं को तत्कालीन पदों पर विनियमित करने के आदेश प्रदान किये गये थे। इस सूची में उनका नाम क्रमांक-84 पर था। उनसे कनिष्ठ श्री हरीराम 92, श्री अतर सिंह 93, श्री रामवृक्ष 94 श्री कैलाश सिंह 96 एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल 97 पर अंकित हैं। वर्तमान सूची में उनसे वरिष्ठ है। अतः मान्य नहीं है।

श्री सुबोध चौधरी के अनुसार सहायक अभियन्ता की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.09.03 में उनका नाम क्रमांक-62, श्री रामपाल का नाम क्रमांक-70, श्री कैलाश सिंह का नाम क्रमांक-71, श्री प्रदीप कुमार मित्तल का नाम क्रमांक-73, श्री सतीश चन्द्र का नाम क्रमांक-75 तथा श्री अतर सिंह का 76 तथा श्री हरीराम का 77 पर है। शासन के आदेश दिनांक 24.12.08 में उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को नजर अन्दाज करते हुए उनका नाम वरिष्ठता क्रमांक-73 तथा उनसे कनिष्ठ श्री हरीराम का 40, श्री अतर सिंह का 39, श्री रामवृक्ष का 37, कैलाश सिंह का 29 तथा श्री प्रदीप मित्तल का क्रमांक-30 पर अंकित किया गया है। उनके द्वारा बी.टेक. भी 2008 में कर लिया गया था। उनकी आपत्तियों को नहीं मानकर आपत्ति बिना कारण बताये बलहीन कर दी गयी है। अतः वरिष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 के अनुपालन में 2003 एवं 2008 की सूचियों को निरस्त करते हुए उनका नाम न्यायोचित स्थान पर स्थापित किया जाय।

श्री सुबोध चौधरी के प्रत्यावेदन के संबंध में उल्लेख करना है कि श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल की वरिष्ठता को सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1341/नौ-4-05-28ई/96, दिनांक 12.05.05 द्वारा दिनांक 26.10.1995 से नियमित पदोन्नत मानते हुए इनकी वरिष्ठता श्री शिवकुमार अम्बेडकर के ठीक नीचे निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुसार ही वरिष्ठता सूची में श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल को क्रमांक-29 एवं 30 पर रखा गया है। श्री हरीराम, श्री अतर सिंह एवं श्री रामवृक्ष को शासन के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप दिनांक 28.11.06 द्वारा उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि 09.09.97 के स्थान पर दिनांक 06.02.96 कर दिये जाने के कारण उनकी वरिष्ठता क्रमशः क्रमांक-40, 39 एवं 37 पर निर्धारित की गयी है। ज्येष्ठता निर्धारण मौलिक नियुक्ति के तिथि के आधार पर किये जाने का प्राविधान है जिसके आधार पर ही उक्त अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। अतः श्री सुबोध चौधरी की आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

(3) श्री रमाकान्त राम, सहायक अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री रमाकान्त राम ने उल्लेख किया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.10.10 के द्वारा उनकी वरिष्ठता निर्धारण सहायक अभियन्ता (सिविल) की वरिष्ठता सूची दिनांक 24.12.08 में क्रमांक-89 पर अंकित श्री संजय चौहान के नीचे एवं क्रमांक-90 पर अंकित श्री शैलेन्द्र कुमार गर्ग के ठीक ऊपर क्रमांक-89ए पर प्रतिस्थापित किया गया है। अतः उन्हें उक्त ज्येष्ठता प्रदान की जाय।

श्री रमाकान्त राम की आपत्ति के संबंध में उल्लेख करना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप-5183/नौ-4-10-64ई/09, दिनांक 04.10.10 द्वारा उन्हें प्रदान की गयी ज्येष्ठता को नियमानुसार न पाये जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3398/नौ-4-14-64ई/09, दिनांक 14.01.15 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः उनकी आपत्ति का निस्तारण किया जा चुका है।

(4) श्री सूरजपाल, अधिशासी अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री सूरजपाल ने अपनी आपत्ति में उल्लेख किया है कि वरिष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 में श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल का नाम निदेशालय द्वारा दिनांक 28.09.07 को जारी अवर अभियन्ता की अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम में नहीं रखा गया है। उन्हें पूर्व में दिनांक 09.09.97 से सहायक अभियन्ता के पद पर विनियमित किया गया था, जिसे बदलकर दिनांक 26.10.95 कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरुद्ध है। उक्त वरिष्ठता सूची में श्री रामकेलव प्रसाद, श्री मन्नूराम सोनकर, श्री भज्जनराम, श्री जे.पी.गौतम, श्री रमेश कुमार, श्री रामपाल, श्री रामवृक्ष, श्री सतीश चन्द्र, श्री अतर सिंह तथा श्री हरीराम को निदेशालय द्वारा दिनांक 28.09.07 को जारी अवर अभियन्ता की अन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम में नहीं रखा गया है। उन्हें दिनांक 09.09.97 के स्थान पर दिनांक 06.02.96 से विनियमित किया गया है, जबकि श्री हरीराम द्वारा याचिका संख्या-263(एस/बी)/04 में नियमानुसार ज्येष्ठता निर्धारित करने के आदेश दिये गये थे, जो त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरुद्ध है। निदेशक, स्थानीय निकाय के द्वारा जारी अवर अभियन्ता की वरिष्ठता सूची दिनांक 28.09.07 में रामकेवल प्रसाद को क्रमांक-40 पर तथा मन्नूराम सोनकर को क्रमांक-79 पर रखा गया है। इन दोनों अभियन्ताओं की विनियमितीकरण की तिथि 27.10.1979 है। श्री, भज्जनराम को क्रमांक-103 पर, जे.पी.गौतम को क्रमांक-191 पर रखा गया है। यह दोनों अवर अभियन्ता तदर्थ रूप से नियुक्त हुए, जिन्हें दिनांक 08.05.87 को विनियमित किया गया है। उक्त सूची में श्री कैलाश सिंह क्रमांक-295, श्री प्रदीप कुमार मित्तल 329, श्री रामवृक्ष 337, श्री सतीश चन्द्र 338, श्री रामलाल 339, श्री अतर सिंह 340, श्री हरीराम 341 पर हैं। उन्हें अवर अभियन्ता मूल पद पर दिनांक 05.05.94 को विनियमित किया गया है। शासन द्वारा श्री हरीराम व अन्य को दिनांक 06.02.96 से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें 06.02.96 से ही विनियमित माना जाय। उक्त विनियमितीकरण त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरुद्ध है। अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 में उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-6 का अनुसरण नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त अभियन्ताओं को उनके मूल संवर्ग अवर अभियन्ता की निदेशालय द्वारा जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची वर्ष 2007 के क्रम में नहीं रखा गया है। क्योंकि श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल एवं अन्य आरक्षित वर्ग के अवर अभियन्ताओं को उनसे वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री नन्दकिशोर गुप्ता के ऊपर रखा गया है।

श्री सूरजपाल के अनुसार उक्त वरिष्ठता सूची में पदोन्नति के संबंध में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.12 के अनुपालन में निर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 08.05.12 का अनुसरण नहीं किया गया है। क्योंकि मूल संवर्ग अवर अभियन्ता की जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची 2007 के क्रम में नहीं रखा गया है। बैकलाग कोटे के

अन्तर्गत तदर्थ रूप से प्रोन्नत किये गये अवर अभियन्ताओं को, वरिष्ठ अवर अभियन्ताओं से ऊपर रखा गया है जो त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरुद्ध है। आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं को परिणामी ज्येष्ठता दी जा रही है। वरिष्ठता सूची मा. उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1105/96 रामगणेश त्रिपाठी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.96 के अनुरूप नहीं बनायी गयी है। अतः श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल को सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 26.10.95 से विनियमित किये जाने वाले त्रुटिपूर्ण कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.05, श्री रामकेवल प्रसाद व अन्य का दिनांक 06.02.96 से विनियमित किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.06 को निरस्त करते हुए अन्तिम वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-31 पर रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाय।

श्री सूरजपाल द्वारा की गयी उक्त आपत्ति के संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री कैलाश सिंह व श्री प्रदीप कुमार मित्तल की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति डिग्री कोटे के अन्तर्गत की गयी है तथा उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 26.10.95 है। श्री हरीराम द्वारा दायर रिट याचिका संख्या-263(एस/बी)/04 हरीराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.03.04 के अनुपालन शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.06 द्वारा श्री रामकेवल प्रसाद, श्री मन्नूराम सोनकर, श्री भज्जनराम, श्री जे.पी.गौतम, श्री रामवृक्ष, श्री अतर सिंह तथा श्री हरीराम को सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 06.02.96 से नियमित पदोन्नति प्रदान की गयी है। शासन के कार्यालय ज्ञाप 17.01.15 के अनुसार श्री रमेश कुमार, श्री रामपाल एवं श्री सतीश चन्द्र को भी उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.06 में सम्मिलित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उनकी भी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 06.02.96 है। उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली के नियम-24 एवं उ०प्र० सरकारी ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के आधार पर उक्त अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 08.05.12 के दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत श्री सूरजपाल की आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(5) श्री ओ.पी.त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री त्रिपाठी ने अपनी आपत्ति में उल्लेख किया है कि उनकी नियुक्ति दिनांक 29.04.78 को अवर अभियन्ता के पद पर हुई थी। दिनांक 18.05.79 को उक्त पद पर विनियमित किया गया था। दिनांक 04.09.94 को वरिष्ठता एवं मेरिट तथा अच्छी सेवाओं को देखते हुए सहायक अभियन्ता के पद का पदोन्नत वेतनमान दिया गया। दिनांक 24.02.03 को सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करने के लिए आदेशित किया गया तथा 10.07.03 को उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध योजित रिट याचिका में पारित मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.08.03 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10.07.03 को स्थगित कर दिया गया। मा.उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि जब तक प्रार्थी की नियुक्ति सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से नहीं हो जाती है, जब तक वह सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करता रहेगा। दिनांक 01.09.12 को उनकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से कर दी गयी है। वर्तमान वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-199 पर है, जबकि प्रार्थी 25.08.03 से नियमित रूप से सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं। उनके बाद के नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं का नाम उनसे ऊपर है। अतः उन्हें वर्ष 2003 से सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ ये की गयी सेवाओं को जोड़ते हुए वरिष्ठता प्रदान की जाय।

श्री ओ.पी.त्रिपाठी की आपत्ति के संबंध में उल्लेख करना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.02.03 द्वारा श्री ओ.पी.त्रिपाठी, अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद का प्रभार दिया गया था न कि शासन द्वारा उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की गयी थी। नियमानुसार श्री त्रिपाठी को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.09.12

द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गयी है। उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 24 में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है। श्री त्रिपाठी की सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 01.09.12 है। अतः उक्त तिथि के अनुसार ही सहायक अभियन्ता की जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 में इन्हें क्रमांक 199 पर रखा गया है। अतः श्री ओ.पी.त्रिपाठी द्वारा की गयी आपत्तियां बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

(6) श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त, अधिशासी अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री मिश्रा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वह लोक सेवा आयोग से चयनित अवर अभियन्ता हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 27.10.79 को जारी सूची में उनका श्रेष्ठता क्रमांक 20 है। वह उक्त दिनांक से विनियमित हैं श्री कैलाश सिंह व श्री प्रदीप कुमार मित्तल, श्री हरीराम अवर अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 14.10.83 को रखा गया था तथा दिनांक 05.05.94 को विनियमित किया गया। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 31.08.06 को जो वरिष्ठता सूची जारी की गयी है, उसमें उनका वरिष्ठता क्रमांक 34 है, जबकि श्री कैलाश सिंह व श्री प्रदीप कुमार मित्तल और श्री हरीराम की वरिष्ठता क्रमशः 297, 331 एवं 347 है। दिनांक 09.09.97 को विनियमित सहायक अभियन्ताओं की जो सूची जारी की गयी है उसमें नाम क्रमांक-64 पर, श्री हरीराम का क्रमांक 92 पर, श्री कैलाश सिंह का क्रमांक 96 पर तथा श्री प्रदीप कुमार मित्तल का नाम क्रमांक 97 पर है। दिनांक 21.01.99 को जारी वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-84 पर, श्री कैलाश सिंह का क्रमांक 99 पर तथा श्री प्रदीप कुमार मित्तल का क्रमांक 100 पर एवं श्री हरीराम का क्रमांक 105 पर है। दिनांक 26.12.03 को जारी वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-44 पर, श्री कैलाश सिंह का क्रमांक-71 पर, श्री प्रदीप कुमार मित्तल का 73 एवं श्री हरीराम का 77 पर है। दिनांक 27.10.79 से दिनांक 24.12.08 तक उनसे कनिष्ठ रहने वाले उपरोक्त अभियन्ता वरिष्ठ कैसे हो गये। वरिष्ठता सूची में उलटफेर करते हुए तीन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.02.05, 12.05.05 एवं 28.11.06 जारी किये गये। उक्त तीनों कार्यालय ज्ञापों को निरस्त करते हुए अवर अभियन्ता संवर्ग में जितने भी अवर अभियन्ता आये हैं चाहें डिग्रीधारक या डिप्लोमाधारी, उन्हें अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची दिनांक 31.08.06 के अनुसार सहायक अभियन्ता संवर्ग में वरिष्ठता प्रदान की जाय।

श्री मिश्रा की आपत्ति के संबंध में उल्लेख करना है कि कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल की सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.05 द्वारा दिनांक 26.10.95 से की गयी है तथा श्री हरीराम को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.06 द्वारा दिनांक 06.02.96 से सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नत किया गया है, जबकि श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा को दिनांक 09.09.97 से सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नत किया गया है। नियम-24 के अन्तर्गत वरिष्ठता निर्धारण का आधार मौलिक नियुक्ति है। सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची में कोटिक्रम का निर्धारण किया गया है। उक्त के दृष्टिगत श्री मिश्रा की आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

7- श्री रामपाल, अधिशासी अभियन्ता एवं श्री रमेश कुमार, मुख्य अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री रामपाल, अधिशासी अभियन्ता ने शासनादेश दिनांक 22.09.14 द्वारा उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियन्ताओं की जारी की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची के संबंध में अवगत कराया है कि उनकी नियुक्ति अवर अभियन्ता के पद पर दिनांक 28.11.81 तथा विनियमितीकरण दिनांक 18.05.89 को हुआ था। उनका नाम अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची दिनांक 30 मार्च, 2000 के अनुसार क्रमांक-257 पर है तथा उनसे कनिष्ठ श्री रामवृक्ष का नाम 324 पर है। श्री रामवृक्ष की नियुक्ति 14.10.1983 तथा विनियमितीकरण दिनांक 05.05.1994 को हुआ था।

उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दिनांक 03 मई, 2003 द्वारा कनिष्ठ श्री रामवृक्ष की सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी तदर्थ प्रोन्नति दिनांक 06.02.96 नोशनली प्रोन्नति एवं दिनांक 09.09.97 से नियमित प्रोन्नति प्रोन्नति की गई है। श्री रामवृक्ष, सहायक अभियन्ता की तदर्थ प्रोन्नति को दिनांक 28.11.06 द्वारा विनियमितीकरण की तिथि 09.09.97 के स्थान पर 06.02.96 किया गया है। शासनादेश दिनांक 22.09.14 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार उनका क्रमांक-36 तथा उनसे कनिष्ठ श्री रामवृक्ष का नाम 37 पर है। सहायक अभियन्ताओं की जारी वरिष्ठता सूची में क्रमांक-33 से 40 पर रखे गये सहायक अभियन्ताओं के सम्मुख दर्शाया गया है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.06 द्वारा विनियमितीकरण की तिथि 09.09.97 के स्थान पर 06.02.96 किया गया है, परन्तु कार्यालय ज्ञाप संख्या-6928/नौ-06-04-8डब्लू/04, दिनांक 28.11.06-में उनका एवं श्री रमेश कुमार का नाम भूलवश छूट गया है, जबकि श्री रमेश कुमार की अधिशासी अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति भी की जा चुकी है। उपरोक्त से अवगत कराते हुए सहायक अभियन्ताओं की अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करने से पूर्व उनसे कनिष्ठ श्री रामवृक्ष की भांति 06.02.96 से सहायक अभियन्ता के पद पर विनियमित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री रामपाल एवं श्री रमेश कुमार द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के संबंध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 17.01.15 द्वारा उनकी आपत्तियों का निराकरण करते हुए नियमानुसार ज्येष्ठता प्रदान कर दी गयी है।

8- श्री यशवन्त कुमार, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम अलीगढ़ की आपत्ति :-

श्री यशवन्त कुमार, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि शासन के आदेश दिनांक 22.09.14 द्वारा जारी की गयी अनन्तिम सूची में उनका नाम क्रमांक-27 पर अंकित है, जिसमें मौलिक नियुक्ति की तिथि 21.05.95 अंकित है, जबकि उनकी मौलिक नियुक्ति शासनादेश दिनांक 21.05.94 द्वारा की गयी है, जिसके अनुपालन नगर महापालिका कानपुर में दिनांक 28.05.94 को ज्वाइन किया गया है। श्री मनीष कुमार सिंह का नाम सूची में क्रमांक-26 पर अंकित है, जबकि लोक सेवा आयोग से भर्ती होने पर मौलिक नियुक्ति तथा नियमितीकरण की तिथि एक ही होती है। श्री मनीष सिंह की मौलिक नियुक्ति एवं नियमितीकरण तिथि 22.07.96 है। इसलिए उन्हें मनीष कुमार सिंह से वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखा जाय।

श्री यशवन्त कुमार, मुख्य अभियन्ता द्वारा की गयी आपत्ति के दृष्टिगत वरिष्ठता सूची में उनकी नियुक्ति की तिथि 21.05.94 अंकित की जाती है। जहाँ तक श्री मनीष कुमार सिंह से वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखने का प्रश्न है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि श्री मनीष कुमार सिंह एवं श्री यशवन्त कुमार सिंह लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1991-92 में किये गये चयन के आधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त किये गये हैं। लोक सेवा आयोग की सूची में श्री मनीष कुमार सिंह का नाम श्री यशवन्त कुमार के नाम से ऊपर है। ऐसी स्थिति में श्री यशवन्त कुमार का नाम ज्येष्ठता सूची में श्री मनीष कुमार सिंह के ऊपर रखे जाने का औचित्य नहीं है। लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता के अनुसार ही रखी गयी है। इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

9- श्री मेराज अनवर हसन, सहायक अभियन्ता, न.पा.प.रायबरेली की आपत्ति :-

श्री मेराज अनवर हसन, सहायक अभियन्ता, न.पा.प.रायबरेली ने अवगत कराया है कि दिनांक 22.09.14 द्वारा जारी की गयी सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-197 पर है, जिसमें उनका नाम मेराज अनवर एवं जन्मतिथि 29.03.56 अंकित हो गयी है, जबकि उनका सही नाम मेराज अनवर हसन तथा जन्मतिथि 29.06.56 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि श्री मेराज अनवर हसन द्वारा संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों से इनके नाम एवं जन्मतिथि की सही पुष्टि हो जाती है। अतः इनकी आपत्ति को स्वीकार करते हुए इनका

नाम मेराज अनवर के स्थान पर मेराज अनवर हसन तथा जन्मतिथि 29.03.56 के स्थान के स्थान 29.06.56 किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार उक्त आपत्ति स्वीकार्य करते हुए उपरोक्त संशोधन कर दिया गया है।

10- श्री डी.एस.त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री डी.एस.त्रिपाठी ने अपनी आपत्ति में उल्लेख किया है कि उनकी अवर अभियन्ता के पद पर तदर्थ नियुक्ति निदेशालय के आदेश दिनांक 08.05.87 द्वारा की गयी थी तथा उन्हें अवर अभियन्ता के पद पर नियमित किया गया है। नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 04.04.01 एवं 02.05.02 से सहायक अभियन्ता का कार्य लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। नगर आयुक्त, लखनऊ के आदेश दिनांक 10.07.03 द्वारा सहायक अभियन्ता का कार्य लिये जाने विषयक आदेश निरस्त किये जाने के विरुद्ध उनके द्वारा मा. न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है। मा. न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.09.03 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद कार्य लिये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गयी, जब तक सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित प्रोन्नति न हो जाय। उनके द्वारा सहायक अभियन्ता के पद का कार्य 20.09.03 से लगातार लिया जाता रहा है। निदेशक के आदेश दिनांक 29.06.07 के द्वारा प्रोन्नत वेतनमान रू० 8000-13500 वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया गया है। उनकी पदोन्नति शासन के आदेश दिनांक 02.04.14 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर की गयी है। श्री त्रिपाठी ने उल्लेख किया है कि वे दिनांक 16.09.03 से नियमित रूप से सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत है, फिर भी वरिष्ठता क्रम में उनका नाम 217 पर रखा गया है, जबकि उनके बाद नियुक्ति किये गये अभियन्ताओं का नाम उनके ऊपर है। अतः उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ रूप से की गयी सेवाओं को जोड़ते हुए उनका नाम ऊपर रखा जाय।

श्री त्रिपाठी की आपत्ति के संबंध में उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.04.14 द्वारा श्री त्रिपाठी की सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की गयी है। उसके पूर्व श्री त्रिपाठी अस्थायी एवं स्थानीय व्यवस्था के तहत सहायक अभियन्ता के पद का कार्य कर रहे थे। समयमान वेतनमान प्राप्त होने तथा अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्य सम्पादन के आधार पर किसी पद पर वरिष्ठता निर्धारण की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः उन्हें दिनांक 20.09.03 से वरिष्ठता प्रदान किये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है। सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि 02.04.14 के दृष्टिगत सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता सूची में इन्हें क्रमांक -217 पर रखा गया है जो नियमानुसार है। अतः श्री डी.एस.त्रिपाठी द्वारा की गयी आपत्तियां बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हैं।

11- श्री कविलाश शर्मा, अधिशासी अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री कविलाश शर्मा द्वारा यह आपत्ति की गई है कि उनका नाम प्रश्नगत वरिष्ठता सूची में क्रमांक-102 पर अभियुक्त के कालम दिनांक 02.04.04 द्वारा 23.05.86 के स्थान पर दिनांक 03.12.03 की गयी है। स्पष्ट करना है कि दिनांक 02.04.04 के ठीक (04 माह 10 दिन) बाद शासन के पत्र दिनांक 22.08.04 द्वारा उन्हें भी शिवसागर वर्मा के केस अवमानना स०-119/04 में दि० 14.05.04 द्वारा नियुक्ति तिथि 23.05.86 एवं नियमित तिथि 09.09.97 मानते हुए मा. उच्च न्यायालय का समादर किया गया है। इस तथ्य को सूची में नहीं दर्शाया गया है। उन्हें श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल तथा श्री रमेश कुमार के ऊपर रखा जाय। दिनांक 22.09.14 को जारी सूची में क्रमांक-29 एवं 30 पर श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल की अभ्युक्ति के कालम में दिनांक 12.05.12 द्वारा वरिष्ठता सूची दिनांक 26.12.03 में श्री अम्बेडकर के नीचे क्रमांक-28 (क) एवं ख पर प्रतिस्थापित करने का उल्लेख किया गया है। वरिष्ठता सूची दिनांक 26.12.03 में कविलाश शर्मा, श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल तथा रमेश कुमार से वरिष्ठ हो रहा है तो उन्हें नीचे करना न्यायसंगत नहीं है। अतः

उन्हें श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल तथा रमेश कुमार के ऊपर अंकित करते हुए मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया जाय तथा बी.एल जैन की भांति 23.05.86 से वेतन भुगतान किया जाय।

श्री कविलाश शर्मा द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के संबंध में उल्लेख है कि श्री कैलाश सिंह व श्री प्रदीप कुमार मित्तल की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 26.10.95 है तथा श्री भज्जनराम, श्री जे.पी.गौतम, रामवृक्ष, हरीराम आदि को सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति दिनांक 06.02.96 है। उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली के नियम-24 में ज्येष्ठता मौलिक तिथि के आधार पर निर्धारित किये जाने के प्राविधान के दृष्टिगत उक्त अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, जबकि श्री कविलाश शर्मा का सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित पदोन्नति की 03.12.03 है, जिसके आधार पर इनकी वरिष्ठता क्रमांक-102 पर निर्धारित की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत श्री शर्मा की आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

12- श्री सुरेश चन्द एवं श्री सतीश कुमार, अधिशासी अभियन्ताओं की आपत्ति :-

श्री सुरेश चन्द एवं श्री सतीश कुमार ने उल्लेख किया है कि शासनादेश दिनांक 26.12.03 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची में उनका नाम क्रमशः क्रमांक-32 एवं 33 पर था। उक्त सूची में उनसे कनिष्ठ श्री कैलाश सिंह क्रमांक-71, श्री प्रदीप कुमार मित्तल क्रमांक-73, रामकेवल प्रसाद-49, मन्नूराम सोनकर-67, जे.पी. गौतम-68, रमेश कुमार क्रमांक-69, रामपाल क्रमांक-70, रामवृक्ष क्रमांक-74, सतीश चन्द्र क्रमांक-75, अतर सिंह क्रमांक-75 तथा श्री हरीराम क्रमांक-77 पर थे, जिन्हें प्रश्नगत वरिष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 में क्रमशः 29,30, 31, 32, 34, 35,36,37,38, 39, 40 पर अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल का नाम निदेशालय द्वारा दिनांक 28.09.07 को जारी अवर अभियन्ता की वरिष्ठता सूची के क्रम में नहीं रखा गया है। उन्हें दिनांक 09.09.97 को विनियमित किया गया है, बाद में उसे बदलकर दिनांक 26.10.95 किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। श्री रामकेवल प्रसाद, श्री मन्नूराम सोनकर, श्री भज्जनराम, श्री जे.पी.गौतम, श्री रमेश कुमार, श्री रामपाल, श्री रामवृक्ष, श्री सतीश चन्द्र श्री अतर सिंह की विनियमितीकरण तिथि 09.09.97 के स्थान पर दिनांक 06.02.96 किया गया है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा इनकी वरिष्ठता नियमानुसार निर्धारित किये जाने के आदेश दिये गये थे, किसी विशेष स्थान पर रखने के नहीं। शासन द्वारा दिनांक 26.12.03 को सहायक अभियन्ताओं की जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में निदेशालय द्वारा वर्ष 2000 में जारी अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची के अनुरूप रखा गया था, किन्तु प्रश्नगत अन्तिम वरिष्ठता सूची में निदेशक द्वारा अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची दिनांक 28.09.07 को दरकिनार करते हुए त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची बनायी गयी है, जबकि मा. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वरिष्ठता सूची के क्रम में छेड़छाड़ न करने के आदेश पारित किये गये हैं। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के अभियन्ताओं को कनिष्ठ से वरिष्ठ बनाकर दोहरा लाभ दिया जा रहा है। मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामगणेश त्रिपाठी बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.96 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को उनके विनियमितीकरण की तिथि के पूर्व की वरिष्ठता न दी जाय। उक्त वरिष्ठता सूची नियमों के अन्तर्गत तैयार नहीं की गयी है। अतः उन्हें क्रमांक-32 एवं 33 पर श्री कैलाश सिंह व अन्य के ऊपर रखा जाय। अतः श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल को सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 26.10.95 से विनियमित किये जाने वाले त्रुटिपूर्ण कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.05, श्री रामकेवल प्रसाद व अन्य का दिनांक 06.02.96 से विनियमित किये जाने वाले कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.06 को निरस्त करते हुए अन्तिम वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-31 पर रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाय।

श्री सुरेश चन्द्र एवं श्री सतीश कुमार के प्रत्यावेदन के संबंध में उल्लेख करना है कि श्री कैलाश सिंह व श्री प्रदीप कुमार मित्तल की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 26.10.95 है तथा श्री भज्जनराम, श्री जे.पी.गौतम, रामवृक्ष, हरिराम आदि को सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति दिनांक 06.02.96 है। उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली के नियम-24 में ज्येष्ठता मौलिक तिथि के आधार पर निर्धारित किये जाने के प्राविधान के दृष्टिगत उक्त अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, जबकि श्री सुरेश चन्द्र एवं श्री सतीश कुमार की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि क्रमशः 10.07.97 एवं 12.11.99 है, जिसके आधार पर इनकी वरिष्ठता निर्धारित की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत श्री सुरेश चन्द्र एवं श्री सतीश कुमार की आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

13- श्री जौवाद हुसैन, सहायक अभियन्ता, नगर निगम लखनऊ की आपत्ति :-

श्री हुसैन द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 में उनका नाम क्रमांक-216 पर है, जसमें उनका नाम जब्बाद हुसैन टंकित हो गया है, जबकि उनका वास्तविक नाम जौवाद हुसैन है।

श्री जौवाद हुसैन की आपत्ति को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता सूची में उनका नाम ठीक कर दिया गया है। इस प्रकार श्री हुसैन की आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

14- श्री अतुल मिश्रा, सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण कानपुर की आपत्ति :-

श्री अतुल मिश्रा द्वारा जिनका ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-163 पर नाम अंकित है, के द्वारा शैक्षिक योग्यता बी.ई.के साथ जीडीसीएमआईडी (कन्सट्रक्शन मैनेजमेंट) की डिग्री अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री मिश्रा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत वरिष्ठता सूची में उनकी शैक्षिक योग्यता बी.ई., जीडीसीएमआईडी (कन्सट्रक्शन मैनेजमेंट) अंकित की जाती है।

15- श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद की आपत्ति :-

श्री शर्मा द्वारा आपत्ति की गयी है कि उनकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 03.02.09 को की गयी है उनका ज्येष्ठता क्रमांक-154 है। ज्येष्ठता क्रमांक-126, 130, 133 एवं 143 पर श्री बिजेन्द्र कुमार, श्री विकास कुरील, श्री देशराज एवं श्रीमती नीना सिंह को रखा गया है, जो उनके बाद नियुक्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें उनके ऊपर रखा जाय।

श्री शर्मा के प्रत्यावेदन के संबंध में उल्लेखनीय है कि उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति और सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में अवधारित किये जाने की व्यवस्था है तथा किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती के नियुक्त व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो लोक सेवा आयोग अथवा चयन समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो। ज्येष्ठता क्रमांक-115 से ज्येष्ठता क्रमांक-131 तक के कार्मिक चयन वर्ष 2007-08 में लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आये हैं। वर्ष 2007-08 में पदोन्नति कोटे के पदों पर किसी कार्मिक को पदोन्नत नहीं किया गया है। इसलिए लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियन्ताओं को क्रमांक-115 से 131 तक को लोक सेवा आयोग की सूची के अनुसार एक साथ रखा गया है।

ज्येष्ठता क्रमांक-132 से 161 तक के सहायक अभियन्ता चयन वर्ष 2008-09 के सापेक्ष सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटे से चयनित है। चूंकि उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-8 के उपनियम-3 में व्यवस्था है कि एक ही चयन वर्ष में की गयी नियुक्तियों में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों

स्रोतों के कार्मिकों की ज्येष्ठता चक्रानुक्रम होगी। उक्त प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ही क्रमांक-132 से 161 तक के सहायक अभियन्ताओं को ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता के अनुसार ही रखी गयी है। इस प्रकार श्री दिनेश चन्द्रशर्मा की आपत्ति बलहीन होने के कारण निस्तारित की जाती है।

16- श्री शिवपाल सिंह, सहायक अभियन्ता की आपत्ति :-

प्रश्नगत अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.09.14 में निदेशक की वरिष्ठता सूची दिनांक 28.09.07 का उपयोग किये जाने का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2003 में निदेशालय की अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उन्हें श्री यशवीर सिंह के नीचे एवं श्री देवी सिंह के ऊपर 264(ए) पर अवस्थापित किया गया था। उक्त सूची दिनांक 28.09.07 में उन्हें 379 पर स्थापित किया गया है, जबकि उन्हें 375 पर होना चाहिए था। शासन की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 24.12.08 में उन्हें क्रमांक 105 व 106 के मध्य अवस्थित होना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया। दिनांक 24.09.12 में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में दिनेश शर्मा एवं रमाकान्त राम के मध्य नसीर अहमद को स्थापित करना आपत्तिजनक है।

श्री शिवपाल सिंह के प्रत्यावेदन के संबंध में उल्लेख करना है कि श्री शिवपाल सिंह की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति तिथि 03.02.09 है, जबकि श्री देवी सिंह की सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि 03.12.03 है। उनकी ज्येष्ठता कोटिक्रम का निर्धारण भी सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक रूप से प्रोन्नति की तिथि से किया गया है। अतः श्री शिवपाल सिंह, सहायक अभियन्ता की आपत्तियां बलहीन होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

17- श्री हरीन्द्र प्रसाद, सहायक अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री हरीन्द्र प्रसाद द्वारा प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 160 पर अंकित है, उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दिनांक 22.09.03 को हुई थी तथा उक्त पद नियमित दिनांक 03.02.09 को हुए हैं। जबकि उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 126, 130, 133, 134 पर अंकित सहायक अभियन्ता लोक सेवा आयोग से चयनित है और उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथियां क्रमशः 28.02.09 एवं 22.06.09 हैं। उन सहायक अभियन्ताओं की मौलिक नियुक्ति इनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 03.02.09 के बाद की है। अतः उन्हें उनके नाम के नीचे रखा जाय और उनका नाम ज्येष्ठता क्रमांक-156 पर अंकित किया जाय।

श्री हरीन्द्र प्रसाद की आपत्ति के संबंध में उल्लेख करना है कि ज्येष्ठता क्रमांक-132 से 161 तक के सहायक अभियन्ता चयन वर्ष 2008-09 के सापेक्ष सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटे से चयनित है। चूंकि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-8 के उपनियम-3 में व्यवस्था है कि एक ही चयन वर्ष में की गयी नियुक्तियों में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों स्रोतों के कार्मिकों की ज्येष्ठता चक्रानुक्रम होगी। उक्त प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ही क्रमांक-132 से 161 तक के सहायक अभियन्ताओं को ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता के अनुसार ही रखी गयी है। इस प्रकार श्री हरीन्द्र प्रसाद की आपत्ति बलहीन होने के कारण निस्तारित की जाती है।

18- श्री ओ.पी.गुप्ता, सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण कानपुर की आपत्ति :-

श्री ओ.पी.गुप्ता के प्रत्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि ज्येष्ठता क्रमांक 189 तथा 206 पर एक अन्य ओम प्रकाश गुप्ता, गृह जनपद गोण्डा का नाम अंकित हो गया है। उनका नाम ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र चुन्नीलाल गुप्ता, गृह जनपद रायबरेली जन्मतिथि 07.06.57 है। शैक्षिक योग्यता बी.एस.सी. डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग है। उन्हें दिनांक 31.01.14 को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है।

श्री गुप्ता की आपत्ति के संबंध में उल्लेख करना है कि क्रमांक-189 पर अंकित श्री ओमप्रकाश गुप्ता की पदोन्नति की तिथि 01.08.12 है, त्रुटिवश अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-189 वाले ओमप्रकाश गुप्ता का नाम क्रमांक-206 पर भी अंकित हो गया था, जबकि क्रमांक-206 पर अंकित श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री चुन्नीलाल गुप्ता का नाम होना चाहिए, जिनकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 31.01.14 को हुई है। श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री चुन्नीलाल गुप्ता के आपत्ति को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-206 पर उनके नाम को रखते हुए यथावश्यक संशोधन करते हुए उनकी आपत्ति का निराकरण किया जाता है।

19- श्री कमलजीत सिंह एवं श्री राजवीर सिंह, अधिशासी अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री कमलजीत सिंह एवं श्री राजवीर सिंह द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची के प्रख्यापन में नियम, उपनियम, अधिनियम, शासनादेश आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। किस नियम, उपनियम के प्राविधानों एवं सुविचारित तथ्यों के आधार पर अन्तिम वरिष्ठता सूची निरस्त कर इसे प्रख्यापित किया गया है। उसका उल्लेख नहीं किया गया है। क्रमांक-106 पर श्री धर्मवीर सिंह का नाम रखा गया है, जबकि श्री सिंह का प्रत्यावेदन पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। उसके कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्हें शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.05.11 के आदेश द्वारा दिनांक 30.06.98 से विनियमित करते हुए ज्येष्ठता प्रदान किया गया है। उनकी सेवा संबंधी तथ्यों के समान प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.90 को आदेश पारित किये गये। उनकी सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति दिनांक 22.03.95 से अभियंत्रण सेवा में सहायक अभियन्ता की स्थायी रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति की गयी थी। मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.12 में भूल/त्रुटि हुई है। शासन द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 14.09.10 के अनुपालन में ही नहीं, अपितु रिट याचिका संख्या-492(एस/बी)/98 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.01 के अनुपालन का भी ध्यान रखकर आदेश दिनांक 04.05.11 निर्गत किया गया है। मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 04.05.10 को निरस्त करने का तात्पर्य है कि मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.01 की अवमानना की जा रही है। उक्त आदेश दिनांक 19.12.01 के विरुद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका शासन द्वारा वापस ले ली गयी है। फलतः आदेश 19.12.01 प्रभावी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के स्तर से अन्तिम होने के उपरान्त ही मा. उच्च न्यायालय के दूसरे बेंच द्वारा इन तथ्यों के देखे बिना कैसे अपास्त किया जा सकता है। इस पर विचार किया जाना होगा। उक्त के विरुद्ध ही मा0 उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका लम्बित है। शासन स्तर से भी मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. अथवा मा. उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिला किया जाना विधि सम्मत होगा। शासन के आदेश दिनांक 04.05.11 को यथावत् पुनर्जीवित किया जाय अथवा उनके द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में अन्तिम निर्णय पारित होने तक ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित न किया जाय तथा ज्येष्ठता सूची के प्रख्यापन में नियमों/विनियमों का उल्लेख किया जाय।

श्री कमलजीत सिंह एवं श्री राजवीर सिंह की उक्त आपत्ति के संबंध में उल्लेख करना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.01.14 में उनके प्रकरण को नियमानुसार निस्तारित किया जा चुका है तथा उन्हें यथास्थान ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। उक्त के दृष्टिगत उनका उपर्युक्त अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।

20- श्री गयूर अहमद, सहायक अभियन्ता, नगर निगम बरेली की आपत्ति :-

श्री गयूर अहमद द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गयी है कि दिनांक 22.12.03 द्वारा डी.पी.सी के माध्यम से उन्हें अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान रु0 8000-13500 में पदोन्नत किया गया। उनकी पदोन्नति वर्ष 2004 में हुई, जिसका प्रोवेशन पीरियड 01 वर्ष मानते हुए वर्ष

2005 के बाद 2006 से उन्हें वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए थी। उनकी वरिष्ठता क्रमांक 110 पर होनी चाहिए, जो क्रमांक-137 पर है। अतः उन्हें क्रमांक-110 पर अंकित किया जाय।

श्री गयूर अहमद द्वारा दी गयी आपत्ति के संबंध में उल्लेख करना है कि श्री अहमद के प्रत्यावेदन के संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री अहमद की सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति 03.02.09 द्वारा गयी है। समयमान वेतनमान प्राप्त होने तथा अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्य सम्पादन के आधार पर किसी पद पर वरिष्ठता निर्धारण की व्यवस्था नहीं है। अतः श्री अहमद का वर्ष 2006 से वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है। ज्येष्ठता क्रमांक-132 से 161 तक के सहायक अभियन्ता चयन वर्ष 2008-09 के सापेक्ष सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटे से चयनित है। चूंकि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-8 के उपनियम-3 में व्यवस्था है कि एक ही चयन वर्ष में की गयी नियुक्तियों में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों स्रोतों के कार्मिकों की ज्येष्ठता चक्रानुक्रम होगी। उक्त प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ही क्रमांक-132 से 161 तक के सहायक अभियन्ताओं को ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता के अनुसार ही रखी गयी है। इस प्रकार श्री गयूर अहमद की आपत्ति बलहीन होने के कारण निस्तारित की जाती है।

21- श्री लालता प्रसाद, सेवानिवृत्त, अधिशासी अभियन्ता की आपत्ति :-

श्री लालता प्रसाद के प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वह लोक सेवा आयोग से चयनित अवर अभियन्ता है, दिनांक 27.10.79 से नियमित हैं। श्री प्रदीप कुमार मित्तल, दिनांक 14.10.83 को स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के पद पर रखे गये थे और वह उनसे लगभग 05 वर्ष कनिष्ठ है। अवर अभियन्ता की वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक-38 पर जबकि श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल का वरिष्ठता क्रमांक-297 एवं क्रमांक 331 पर है। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.09.93 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की गयी है। उक्त पदोन्नति डीपीसी के माध्यम से की गयी थी, जबकि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.09.93 द्वारा ही श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल को तात्कालिक प्रभाव से पूर्णतः अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी है। उक्त तीनों सहायक अभियन्ताओं को दिनांक 09.09.97 से विनियमित किया गया है। यदि तीनों एक ही तिथि को विनियमित किये गये तो ज्येष्ठता का निर्धारण अवर अभियन्ता की ज्येष्ठता सूची से होगा। सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची दिनांक 21.01.99 में उनका नाम क्रमांक-78 पर, श्री कैलाश सिंह का 99 पर तथा श्री प्रदीप कुमार मित्तल का क्रमांक-100 पर, ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.09.03 एवं 26.12.03 में उनका नाम क्रमांक-47 पर, श्री कैलाश सिंह का 71 पर तथा श्री प्रदीप कुमार मित्तल का क्रमांक-73 पर, दिनांक 26.03.08 में उनका नाम क्रमांक-57 पर, श्री कैलाश सिंह का 29 पर तथा श्री प्रदीप कुमार मित्तल का क्रमांक-30 पर तथा दिनांक 24.12.08 में उनका नाम क्रमांक-59 पर, श्री कैलाश सिंह का 29 पर तथा श्री प्रदीप कुमार मित्तल का क्रमांक-30 पर अंकित है। दिनांक 26.12.03 के अनुसार वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाय। दिनांक 24.04.95 को निर्गत अवर अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 173, श्री श्याम सिंह, श्री पवन सिंह, श्री कैलाश सिंह, श्री प्रदीप कुमार मित्तल अवर अभियन्ताओं को क्रमांक 391, 388, 469, 493 है। रि.या.सं.56(एस/बी) में पारित मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.04 श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल की पदोन्नति को पुस डाउन कर दिया गया, किन्तु दोनों लोगों को वरिष्ठता में नीचे नहीं किया गया। दिनांक 13.03.93 एवं 26.10.95 तक डिग्रीधारी अभियन्ताओं को पदोन्नति हेतु कोई आरक्षण लागू नहीं था, किन्तु उन्हें लाभ पहुँचाया गया। श्री सिंह एवं श्री मित्तल को दिनांक 26.10.95 से नियमित सहायक अभियन्ता माना गया है, जो नियमानुसार नहीं है। उनकी पदोन्नति के आदेश को निरस्त किया जाय और उनको पूर्वगामी तिथि से दी गयी ज्येष्ठता गलत है। निर्देश याचिका

संख्या-1454/95 में पारित निर्णय से स्पष्ट है कि अवर अभियन्ता डिग्रीधारक को डिग्री के कारण अवर अभियन्ता की वरिष्ठता सूची में ऊपर नहीं रखा जा सकता है। अतः जिन अभियन्ताओं की नियमित पदोन्नति की गयी है उन्हें ऊपर रखा जाय बाकी अभियन्ताओं को नीचे रखा जाय।

श्री लालता प्रसाद की आपत्ति के संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री लालता प्रसाद को शासन के आदेश दिनांक 09.09.97 द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित किया गया है। इस प्रकार श्री प्रसाद की सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि 09.09.97 है, जबकि श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल की वरिष्ठता को सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1341/नौ-4-05-28ई/96, दिनांक 12.05.05 द्वारा दिनांक 26.10.1995 से नियमित पदोन्नत मानते हुए इनकी वरिष्ठता श्री शिवकुमार अम्बेडकर के ठीक नीचे निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुसार ही वरिष्ठता सूची में श्री कैलाश सिंह एवं श्री प्रदीप कुमार मित्तल को क्रमांक-29 एवं 30 पर रखा गया है। श्री हरीराम, श्री अतर सिंह एवं श्री रामवृक्ष को शासन के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप दिनांक 28.11.06 द्वारा उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि 09.09.97 के स्थान पर दिनांक 06.02.96 कर दिये जाने के कारण उनकी वरिष्ठता क्रमशः क्रमांक-40, 39 एवं 37 पर निर्धारित की गयी है, जो वरिष्ठता निर्धारण संबंधित नियम-24 के अनुरूप है। अतः उक्त के दृष्टिगत श्री लालता प्रसाद की आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।

22- श्री लक्ष्मीनारायण सिंह सागर, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद की आपत्ति:-

इनके द्वारा अवगत कराया है कि वे लोक सेवा आयोग के अध्याचन 1991 के सापेक्ष वर्ष 1994 में चयनित हुए। उक्त के उपरान्त उनकी नियुक्ति हुई। शासन द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 21.01.99 में उनके चयन वर्ष 1994 में ही चयनित शिवकुमार अम्बेडकर के नीचे चयनित उनकी ज्येष्ठता क्रमांक-37 पर रखी गयी। ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.12.03 में उनका नाम ज्येष्ठता क्रमांक-29 पर था। इन्हीं ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर प्रोन्नतियां की गयीं। दिनांक 24.12.08 को प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची में नियम विरुद्ध रूप से उनका नाम क्रमांक-41 अंकित किया गया है। जबकि उनका नाम श्री मनीष कुमार सिंह एवं श्री रमेश कुमार की तरह श्री शिवकुमार अम्बेडकर के ठीक नीचे क्रमांक-29 पर होना चाहिए था। उनके प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए शासन ने अपने त्रुटि को सही करते हुए अपने आदेश दिनांक 03.09.09 द्वारा उनकी कनिष्ठ की प्रोन्नति दिनांक 27.06.01 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति संबंधी लाभ अनुमन्य करते हुए पूर्व की भांति ज्येष्ठता में श्री अम्बेडकर के ठीक नीचे पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री हरीराम द्वारा एक रिट याचिका संख्या-1662(एस/बी)/09 योजित की गयी थी। उक्त याचिका को मा. उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। रि.या.सं.-41658/12 में मा.उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.08.12 में उनकी पूर्ववत ज्येष्ठता अंकित करने व कनिष्ठ की दिनांक से प्रोन्नति के क्लेम को कन्सीडर करने के निर्देश भी दिये हैं। अतः मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.12, उ.प्र. पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 21 क-9 नियम 24 एवं मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.96 के आलोक में उनकी ज्येष्ठता क्रमांक 41 के बजाय श्री मनीष कुमार सिंह व तदर्थ सेवा के श्री रमेश कुमार आदि की तरह ही श्री शिवकुमार अम्बेडकर के ठीक नीचे क्रमांक-29 पर रखते हुए अनुमन्य लाभ प्रदान किया जाय।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह सागर की उक्त आपत्ति का सकारण निराकरण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-486डब्लू/नौ-4-14-63डब्लू/2012, दिनांक 31.10.14 द्वारा किया जा चुका है। श्री सागर के प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं का विस्तृत निस्तारण पूर्व में ही आदेश दिनांक 31.10.14 द्वारा किया जा चुका है। अतएव उनकी आपत्ति एतद्द्वारा निस्तारित की जाती है।

3. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों तथा प्राप्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुए उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के सहायक अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम वरिष्ठता सूची संलग्न विवरणानुसार प्रकाशित की जाती है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 2826 (1)/नौ-4-2014-35ई/03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित अभियन्तागण द्वारा निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।
3. कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

५

शासनादेश संख्या-2826/सौ-4-14-35ई/2003, दिनांक 24 जनवरी, 2015 का संलग्नक
 उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) अभियंता प्रवर सेवा के सहायक अभियंताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची

क्र.सं.	अभियन्ता का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	मौलिक नियुक्ति/ नियमितकरण की तिथि	अभियन्ता का नाम
1	सर्वश्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	गोरखपुर	01-01-53	बी.ई.	01-07-78	ल०स०आयोग
2	दिनेश कुमार महराजा (अधिकांशी अभियन्ता सेवा निवृत्त)	बादा	25-09-46	बी.टेक	08-12-77	ल०स०आयोग
3	आम प्रकाश तिवारी (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	जौनपुर	01-10-52	बी.टेक	01-07-78	ल०स०आयोग
4	अजय पाल सिंह (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	गार्जीपुर	07-02-52	बी.ई.	01-07-78	ल०स०आयोग
5	धर्मवीर गुप्ता (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	गार्जीपुर	25-06-54	बी.ई.	01-07-78	ल०स०आयोग
6	रामपाल सिंह (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	सुजयपुरनगर	05-01-47	ए.एम.आर्.ई.	01-03-82	ल०स०आयोग
7	राम कुमार श्रवता (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	हरदोई	08-07-50	ए.एम.आर्.ई.	01-03-82	ल०स०आयोग
8	राजेश प्रसाद श्रवता (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	इलाहाबाद	02-01-52	बी.ई.	01-03-82	ल०स०आयोग
9	देवाश्रीष अधिकारी (अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त)	इलाहाबाद	16-01-53	बी.ई.	17-07-86	सीधी भती
10	बी.एन.मिश्रा (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	आरा(बिहार)	24-03-51	बी.ई.	17-07-86	सीधी भती
11	जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	आजमगढ़	07-07-53	बी.ई.	17-07-86	सीधी भती
12	मो० वसीम सिद्दीकी (अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त)	बदायूं	29-12-49	बी.ई.	17-07-86	सीधी भती
13	एस०के० अययाल (अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त)	फिरोजाबाद	04-03-51	बी.टेक	17-07-86	सीधी भती
14	मो० शशीक खा (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	बुलन्दशहर	01-01-54	बी.ई.	17-07-86	सीधी भती
15	रमेश कुमार महराजा (अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त)	बादा	01-06-49	बी.ई.	17-07-86	सीधी भती
16	सोमनाथ बनर्जी (अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त)	बिहार	06-07-49	बी.ई.	17-07-86	सीधी भती
17	पवन कुमार जैन (अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त)	आगरा	26-1-45	बी.ई.	09-09-86	सीधी भती
18	राम पाल सिंह वर्मा (अधिकांशी अभियन्ता सेवानिवृत्त)	सहारनपुर	25-9-44	बी.ई.	09-09-86	सीधी भती

19	उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी (अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त)	कानपुर देहात	19-4-53	बी.ई.	03-09-90	सीधी भर्ती
20	शहनशाह सुल्तान (मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त)	बदायूं	06-10-53	बी.ई.	28-09-93	सीधी भर्ती
21	राकेश कुमार मित्तल (मुख्य अभियन्ता)	आगरा	02-04-60	बी.ई.	28-09-93	सीधी भर्ती
22	जितेन्द्र केन (अनु.जाति) (मुख्य अभियन्ता)	गाजियाबाद	14-11-61	बी.ई.	28-09-93	सीधी भर्ती
23	तरुण कुमार शर्मा (मुख्य अभियन्ता)	बिजनौर	22-8-58	बी.ई.	28-09-93	सीधी भर्ती
24	कुल भूषण (मुख्य अभियन्ता)	बुलन्दशहर	10-04-61	बी.एस.सी. इंजी / बीटेक	28-09-93	सीधी भर्ती
25	राम कुमार वर्मा (अनु0 जाति) (मुख्य अभियन्ता)	झांसी	18-07-57	ए.एम.आई.ई.	06-04-94	सीधी भर्ती
26	मनीष कुमार सिंह (मुख्य अभियन्ता)	देवरिया	01-07-65	बी.ई.	22-07-96	लो0से0आयोग
27	यशवन्त कुमार (अनु0जाति) (मुख्य अभियन्ता)	आजमगढ़	01-03-63	बी.ई.	21-05-94	लो0से0आयोग
28	शिवकुमार अम्बेडकर (अनु.जाति) (मुख्य अभियन्ता)	हरदोई	20-8-65	बी.ई.	17-09-94	लो0से0आयोग
29	कैलाश सिंह (मुख्य अभियन्ता)	आजमगढ़	15-11-62	बी.ई.	26-10-95	पदोन्नति
30	प्रदीप कुमार मित्तल (मुख्य अभियन्ता)	बुलन्दशहर	13-9-60	बी.ई.	26-10-95	पदोन्नति
31	रामकेवल प्रसाद (अनु0जाति) (अधि. अभियन्ता) से. नि.	देवरिया	15-7-49	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
32	मन्मूराम सोनकर(अनु.जाति)(अधि.अभियन्ता मृत)	वाराणसी	08-02-55	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
33	भजन राम (अनु0जाति) (से.नि.)	बदायूं	28-12-40	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
34	जै0पी0 गौतम (अनु0जाति) (से.नि.)	सीतापुर	24-8-48	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
35	रमेश कुमार (अनु0जाति) (मुख्य अभियन्ता)	फैजाबाद	06-02-59	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
36	रामपाल (अनु0 जाति) (अधिशाली अभियन्ता)	सीतापुर	20-05-55	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
37	रामवृक्ष (अनु0जाति) (अधिशाली अभियन्ता)	गोरखपुर	08-09-58	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति

38	सतीश चन्द्र (अनु0जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	मैनपुरी	03-07-54	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
39	अतर सिंह (अनु0जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	आगरा	01-03-62	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
40	हरीराम (अनु0जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	प्रतापगढ़	05-09-58	डिप्लोमा	06-02-96	पदोन्नति
41	लक्ष्मी नारायण सिंह सागर (अनु.जा.) (अधिशासी अभियन्ता)	बुलन्दशहर	10-10-62	बी.ई.	08-08-96	लो0से0आयोग
42	आर.के. चौधरी (अनु0जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	पड़रौना	05-08-69	बी.टेक	12-06-96	लो0से0आयोग
43	सूरज पाल (अनु0जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	फिरोजाबाद	15-6-62	बी.ई.	12-06-96	लो0से0आयोग
44	सुरेश चन्द्र (अनु0जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	बुलन्दशहर	20-7-67	बी.ई.	10-07-97	लो0से0आयोग
45	सतीश कुमार (अनु0जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	सहारनपुर	01-03-65	बी.ई.	12-11-99	लो0से0आयोग
46	राजेन्द्र सिंह (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	गाजियाबाद	01-01-47	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
47	नंद किशोर गुप्ता (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	झांसी	01-03-45	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
48	राजेन्द्र कुमार जैन (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	मेरठ	07-07-45	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
49	निर्मल कुमार मनमानी (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	आगरा	02-01-46	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
50	आर.के. सूरी (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	कर्णफूला	07-02-48	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
51	महावीर प्रसाद (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	मुजफ्फरनगर	01-01-44	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
52	रामजी प्रसाद (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	वाराणसी	01-01-54	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
53	ओम प्रकाश मिश्रा (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	कानपुर	07-09-45	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
54	इमरानुद्दीन सिद्दीकी (अधि.अभियन्ता) (से.नि.)	मुसादाबाद	02-02-48	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
55	प्रेम सागर वर्मा (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	फतेहपुर	01-08-51	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
56	ज्ञान प्रकाश मिश्रा (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	एटा	23-09-46	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति

57	मो०जियाउद्दीन (अधिकासी अभियन्ता) (से.नि.)	मिर्जापुर	02-10-48	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
58	पांचू राम (अधिकासी अभियन्ता) (से.नि.)	मिर्जापुर	10-12-52	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
59	लालता प्रसाद (अधिकासी अभियन्ता) (से.नि.)	इलाहाबाद	20-10-54	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
60	प्रेम चन्द्र गुप्ता (अधिकासी अभियन्ता) (से.नि.)	बाँदा	10-06-49	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
61	कल्पनाथ वर्मा (से.नि.)	फैजाबाद	01-01-52	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
62	अशोक कुमार (अधिकासी अभियन्ता) (से.नि.)	इटावा	20-09-52	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
63	देवेन्द्र त्यागी (अधिकासी अभियन्ता) (से.नि.)	अलीगढ़	05-03-54	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
64	राज कुमार वाघवानी (से.नि.)	कानपुर	06-11-50	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
65	प्रभात कुमार मिश्रा (से.नि.)	इटावा	08-02-52	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
66	सन्तोष कुमार जैन (से.नि.)	एटा	05-02-44	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
67	यशोदानन्दन मिश्र (से.नि.)	गोरखपुर	31-12-47	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
68	करुणेंद्र प्रताप सिंह, (से.नि.)	प्रतापगढ़	18-11-52	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
69	शिवशंकर चौबे (से.नि.)	वाराणसी	01-06-45	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
70	महावीर सिंह (से.नि.)	बुलन्दशहर	03-01-50	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
71	सतीश चन्द्र वर्मा (से.नि.)	बस्ती	01-01-51	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
72	विश्वान प्रसाद (से.नि.)	फैजाबाद	02-05-51	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
73	धन्य कुमार जैन (से.नि.)	सहारनपुर	01-09-51	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
74	सुबोध चौधरी (अधिकासी अभियन्ता)	बरेली	15-01-55	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
75	रजीत शाह (से.नि.)	उन्नाव	15-12-49	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति

76	राम आसरे (से.नि.)	मिर्जापुर	06-01-54	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
77	शिव सागर (से.नि.)	फतेहपुर	30-6-45	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
78	सुनील कुमार केशरी (अधिशासी अभियन्ता)	फतेहपुर	16-04-61	ए.एम.आई.ई.	09-09-97	पदोन्नति
79	राम लाल सिंह (अनु.जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	इलाहाबाद	01-07-56	डिप्लोमा	09-09-97	पदोन्नति
80	मोईनुद्दीन (अधिशासी अभियन्ता)	अलीगढ़	01-11-68	बी.ई.	28-01-99	लो०से०आयोग
81	भूपेश कुमार सिंह (अधिशासी अभियन्ता)	फिरोजाबाद	08-07-71	बी.ई.	28-01-99	लो०से०आयोग
82	बिन्दा लाल गुप्ता (अधिशासी अभियन्ता)	गाजीपुर	07-11-65	बी.ई.	28-01-99	लो०से०आयोग
83	धनंजय कुमार गुप्ता	चन्दौली	22-12-71	बी.ई.	12-04-99	लो०से०आयोग
84	दिनेश चन्द्र (अधिशासी अभियन्ता)	कानपुर	03-05-68	बी.ई.	28-01-99	लो०से०आयोग
85	संतोष कुमार सिंह (अधिशासी अभियन्ता)	मिर्जापुर	15-5-64	बी.ई.	28-01-99	लो०से०आयोग
86	महेश चन्द्र (अधिशासी अभियन्ता)	बाराबंकी	15-11-67	एम.टेक	12-04-99	लो०से०आयोग
87	नरेन्द्र कुमार चौधरी (अधिशासी अभियन्ता)	संतकबीरनगर	27-10-71	बी.ई.	12-04-99	लो०से०आयोग
88	मनीष अवस्थी (अधिशासी अभियन्ता)	सीतापुर	09-07-72	बी.ई.	14-05-99	लो०से०आयोग
89	सुनील कुमार (अनु० जाति)	इटावा	30-01-75	बी.ई.	17-06-99	लो०से०आयोग
90	संजय चौहान (अधिशासी अभियन्ता)	मुयादाबाद	06-09-72	बी.ई.	30-3-2000	लो०से०आयोग
91	शैलेन्द्र कुमार गर्ग (अधि. अभियन्ता) (से.नि.)	अलीगढ़	20-09-54	डिप्लोमा	27-06-01	पदोन्नति
92	नवल किशोर अग्रवाल (से.नि.)	जालौन	04-03-50	डिप्लोमा	03-05-03	पदोन्नति
93	से. वसी हैदर (से.नि.)	मेनपुरी	25-10-53	डिप्लोमा	03-05-03	पदोन्नति
94	श्री आनन्द कुमार (अनु० जाति)	इटावा	05-07-62	डिप्लोमा	02-07-03	पदोन्नति

95	श्री अवतार रायल (अनु० जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	इटावा	04-03-63	डिप्लोमा	02-07-03	पदोन्नति
96	राजकुमार (अनु० जाति)(अधिशासी अभियन्ता)	इटावा	12-05-62	डिप्लोमा	02-07-03	पदोन्नति
97	चरन सिंह सेंगर (से.नि.)	अलीगढ़	01-12-50	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
98	ओम बाबू तिवारी (से.नि.)	बुलन्दशहर	01-10-45	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
99	सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (से.नि.)	देवरिया	31-3-48	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
100	सुरेश चन्द्र (अधिशासी अभियन्ता) (से.नि.)	फर्रुखाबाद	07-10-54	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
101	धर्मवीर सिंह (अधिशासी अभियन्ता)	बांदा	10-07-55	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
102	कविलाश शर्मा (अधिशासी अभियन्ता)	बलिया	01-07-56	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
103	बी.एल.जैन (से.नि.)	हरियाणा	26-3-45	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
104	चन्द्र पाल सिंह (अनु० जाति)	बुलन्दशहर	15-09-60	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
105	चरन सिंह (अनु० जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	आगरा	10-01-59	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
106	यशवीर सिंह (अनु० जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	आगरा	01-07-62	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
107	देवी सिंह (अनु० जाति) (अधिशासी अभियन्ता)	बुलन्दशहर	25-07-64	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
108	राजवीर सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह (अनु. जा.) (अधिशासी अभियन्ता)	मैनपुरी	15-01-64	डिप्लोमा	03-12-03	पदोन्नति
109	मो० अली (से.नि.)	लखनऊ	01-07-45	डिप्लोमा	21-05-04	पदोन्नति
110	राजवीर सिंह (अधिशासी अभियन्ता)	इटावा	15-01-70	बी.ई.	21-02-07	सीधी भर्ती
111	उमेश चन्द्र उपाध्याय	महाराजगंज	01-01-66	बी.ई.	21-02-07	सीधी भर्ती
112	कमलजीत सिंह (अधिशासी अभियन्ता)	बलिया	01-07-66	बी.ई. / एम.टेक	21-02-07	सीधी भर्ती
113	अजय कुमार सिंह	रोहतास (बिहार)	26-10-63	बी.ई.	21-02-07	सीधी भर्ती

114	देवेन्द्र कुमार	इटावा	01-01-65	बी.ई.	21-02-07	सीधी भर्ती
115	पुनीत कुमार ओझा	गोरखपुर	04-07-72	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
116	सैय्यद फरीद अख्तर जैदी	फैजाबाद	08-07-72	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
117	प्रमोद कुमार सिंह	बलरामपुर	11-08-72	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
118	अमित कुमार शर्मा	आगरा	01-02-76	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
119	रविन्द्र कुमार सिंह	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	02-11-76	बी.ई.	18-09-08	लॉ०से०आयोग
120	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र	(भदोही)	15-07-71	बी.ई.	11-07-08	लॉ०से०आयोग
121	आशीष त्रिवेदी	रायबरेली	01-01-73	बी.ई.	11-07-08	लॉ०से०आयोग
122	दिलीप कुमार शुक्ल	इलाहाबाद	05-06-73	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
123	अशोक कुमार	बुलन्दशहर	25-08-73	बी.ई.	11-07-08	लॉ०से०आयोग
124	आलोक श्रीवास्तव	इलाहाबाद	04-12-76	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
125	अरविन्द्र कुमार श्रीवास्तव	सीधी (म.प्र.)	01-07-77	बी.ई.	18-09-08	लॉ०से०आयोग
126	बिजेन्द्र कुमार पाल	मेरठ	02-12-67	बी.ई.	28-02-09	लॉ०से०आयोग
127	अजीत कुमार(अनु० जाति)	बलिया	08-05-77	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
128	अनिल कुमार मौर्य	प्रतापगढ़	14-09-75	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
129	अमरनाथ(अनु० जाति)	देवरिया	07-07-69	बी.ई.	11-07-08	लॉ०से०आयोग
130	विकास कुरील (अनु० जाति)	कानपुर	29-06-79	बी.ई.	28-02-09	लॉ०से०आयोग
131	वीरेन्द्र चन्द्र पटेल	महाराजगंज	01-01-69	बी.ई.	16-06-08	लॉ०से०आयोग
132	सुरेश कुमार शाह (से.नि.)	कानपुर	01-07-50	डिप्लोमा	03-02-09	पदोन्नति
133	देशराज (अनु०जाति)	सहारनपुर	01-01-72	बी.ई.	22-06-09	लॉ०से०आयोग
134	शिव कुमार वर्मा (से.नि.)	बुलन्दशहर	10-04-50	डिप्लोमा	03-02-09	पदोन्नति
135	श्रीमती नीना सिंह (अनु०जाति)	नई दिल्ली	24-06-76	बी.ई.	22-06-09	लॉ०से०आयोग
136	ओंकार नाथ अरोड़ा (से.नि.)	मुजफ्फरनगर	26-07-54	डिप्लोमा	03-02-09	पदोन्नति
137	गयूर अहमद	बदायूं	10-02-57	डिप्लोमा	03-02-09	पदोन्नति
138	इशरत अली (से.नि.)	मैनपुरी	07-10-50	डिप्लोमा	03-02-09	पदोन्नति
139	राजकुमार सिंह (से.नि.)	अलीगढ़	01-07-49	डिप्लोमा	03-02-09	पदोन्नति
140	आनन्द कुमार सक्सेना (से.नि.)	बहराइच	25-02-52	डिप्लोमा	03-02-09	पदोन्नति

